न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 08 / 2019

प्रार्थी

श्री भैराराम पुत्र वेहनाराम कौम चौधरी निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बाबुराम पुत्र भीझाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
2. भोमाराम पुत्र भीझाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
3. शान्ती पुत्री भीझाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
4. हुआडी पुत्री भीझाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
5. चम्पा पुत्री भीझाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
6. टीपू बेवा भीझाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
7. घेवरराम पुत्र भैराराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
8. सांवलराम पुत्र सवाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
9. बगदाराम पुत्र सवाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
10. मूलाराम पुत्र सवाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
11. विशनाराम पुत्र सवाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
12. सीता पत्नी सवाराम जाति भील निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
13. राधादेवी पत्नी कानाराम जाति भील निवासी सरवडी चारणान् तहसील समदडी जिला बाडमेर
14. राणाराम पुत्र मोटाराम जाति चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर
15. वगताराम पुत्र हेमाराम जाति चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर
16. हडमानाराम पुत्र हेमाराम जाति चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर
17. भगाराम पुत्र हेमाराम जाति चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर
18. तगाराम पुत्र हेमाराम जाति चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर
19. थानाराम पुत्र हबताराम जाति चौधरी निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
20. हस्ताराम पुत्र भगाराम जाति चौधरी निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
21. भूराराम पुत्र भगाराम जाति चौधरी निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
22. जोगाराम पुत्र भगाराम जाति चौधरी निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बाडमेर
23. मांगीदान पुत्र भगाराम जाति चौधरी निवासी [illegible] समदडी जिला बाडमेर
24. सावंलाराम पुत्र हबताराम [illegible] तहसील समदडी जिला बाडमेर
25. नेतीराम पुत्र नरींगाराम जा[illegible] जिला बाडमेर
26. किशनाराम पुत्र देवाराम जाति चौधरी निवासी सु[illegible] तहसील समदडी जिला बा[illegible]
27. मुकनाराम पुत्र वागाजी जाति चौधरी निवासी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
28. कानाराम पुत्र वागजी जाति चौधरी निवासी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
29. दुदाराम पुत्र वागाजी जाति चौधरी निवासी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
30. दौलाराम पुत्र वागाजी जाति चौधरी निवासी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
31. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28/06/21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073 –2076 सरहद मौजा सुईली पटवार मण्डल बामसीन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 18,30,31,32,36,41, व 43 रकबा 41.03,04.02,08.17,07.06,06.01,01.10, व 07.15 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सुईली पटवार मण्डल बामसीन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 18,30,31,32,36,41, व 43 रकबा 41.03,04.02,08.17,07.06,06.01,01.10, व 07.15 भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28/06/21 .... खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested

(कसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक / 2021 / 4621

दिनांक :- 02/07/21

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

भैराराम — **बाबुराम वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं.....08 / 2019

दिनांक :– 02.07.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सुईली पटवार मण्डल बामसीन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 18,30,31,32,36,41, व 43 रकबा 41.03,04.02,08.17,07.06,06.01,01.10, व 07.15 भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

क्रमांक: वाचक / 2021 / 4622-25

दिनांक :- 02/07/21

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी समदडी
3. हल्का पटवारी बामसीन को मय [illegible] नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री भैराराम पुत्र वेहनाराम कौम चौधरी [illegible] समदडी जिला बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना